न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

करण संख्या:- 144/2009 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00341), पीठासीन अधिकारी:- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. सुनहरी पुत्र भोंदू जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग(मृतक)

1/1. भूदा पत्नी स्व. सुनहरी जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग

1/2. सुभाष
1/3. जीवनलाल } पुत्रगण स्व. सुनहरी जाति जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग

1/4. पिस्ता पुत्री स्व. सुनहरी पत्नी रमेशचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ऊमरी पोस्ट कोसी खुर्द तहसील व जिला मथुरा(उ.प्र.)

1/5. विजयवती पुत्री स्व0 सुनहरी पत्नी चन्द्रशेखर जाति जाट नि0 ग्राम गुनसारा तहसील कुम्हेर जिला डीग

-प्रार्थीगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र भोंदू जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग -मृतक

1/1. रमेश
1/2. गणेश
1/3. सुरेश } पुत्रगण स्व.अमर सिंह जाति जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग

1/4. राममूर्ति पुत्री स्व. अमर सिंह पत्नी ओंकार सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग हाल निवासी तालफरा तहसील कुम्हेर जिला डीग

1/5. गजना पुत्री स्व. अमर सिंह पत्नी रामवीर जाति जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ हाल नि0 इकरामनगर तहसील किरावली जिला आगरा(उ.प्र.)

2. भोंदू पुत्र नाहिर सिंह जाति जाट निवासी बरौलीचौथ तहसील डीग -मृतक

2/1. सल्तान सिंह पुत्र हुब्बलाल पौत्र भोंदू
2/2. जगदीश पुत्र हुब्बलाल पौत्र भोंदू } जाति जाट नि0 बरौलीचौथ तहसील डीग

2/3. वीरमती पत्नी स्व. कप्तान सिंह पुत्रबधु हुब्बलाल
2/4. भगत सिंह पुत्र स्व. कप्तान सिंह पौत्र हुब्बलाल } जातियान जाट नि0 बरौलीचौथ तहसील डीग

2/5. समर सिंह पुत्र स्व. श्री कप्तान सिंह पौत्र हुब्बलाल
2/6. देशराज पुत्र स्व. श्री कप्तान सिंह पौत्र हुब्बलाल
2/7. निमका पुत्री स्व. श्री कप्तान सिंह पौत्री हुब्बलाल } जातियान जाट नि0 बरौलीचौथ नाबा0 जरिये संरक्षक वीरमति पत्नी स्व.कप्तान सिंह जाति जाट नि0बरौलीचौथ

-अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.
सम्बन्धित दावा उनवानी सुनहरी व
अन्य बनाम भौदू मु.स. 396/72
न्यायालय एस.डी.ओ.डीग

निर्णय दिनांकः 12.05.2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि साविक आ.ख.नम्बरान 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7,414/3-3, 415/1-17, 416/1-3,417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18,460/1-9, 485/1-7, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग जिनके हाल हाल आराजी खसरा नम्बरान 735/0.29, 736/0.24, 752/0.24, 753/0.32, 754/0.40, 807/0.22, 737/0.30, 738/0.32, 740/0.20, 741/0.20, 743/0.33, 751/0.12, 806/0.31, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग बने है। जोकि ग्राम पूँछरी तहसील डीग में स्थित है। प्रार्थी सुनहरी व उसके भाई अप्रार्थी अमर सिंह द्वारा अपने पिता भौदू के विरूद्ध साविक आराजी खसरा नम्बरान 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7,414/3-3, 415/1-17, 416/1-3,417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18,460/1-9, 485/1-7, वाके ग्राम पूँछरी की बावत एक मुकदमा व उनवानी सुनहरी व अन्य बनाम भौदू प्रकरण संख्या 396/72 अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में फर्जकारी करते हुए अपने को फायदा नाजायज पहुंचाते हुए गलत दादरसी के साथ प्रस्तुत किया गया और पिता से भी मिलकर तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके पर विधि विरूद्ध तरीके पर इकबाल दावा दिलाते हुए न्यायालय से दिनांक 27.09.1972 को डिक्री प्राप्त करली जोकि निर्णय व डिक्री अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह द्वारा प्राप्त करली गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई है और दोनों भाईयों को दावा उनवानी सुनहरी व अन्य बनाम भौदूं प्रकरण संख्या 396/72 में वर्णित समस्त आराजी मुत0 अपने पिता भोंदू से व हिस्सा बरावर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी को कुल रकबा 21 वीघा से साढे दस बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह को भी साढे दस बीघा रकबा प्राप्त हुआ था और इसी प्रकार प्रार्थी खसरा नम्बर 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7,414/3-3, सालिम व खसरा नम्बर 485/1-7 विस्वा से दस विस्वा रकबा वाके ग्राम पूँछरी पर कब्जा काश्त था तथा अप्रार्थी संख्या 1 का साविक खसरा नम्वरान 415/1-17, 416/1-3, 417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18, 460/1-9, सालिम व खसरा नम्बर 485/1-07 से 17 विस्वा वाके ग्राम पूँछरी पर कब्जा काश्त था और भौदू से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का विवाद होने पर इसी कदर साविक आराजी खसरा नम्बर 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7, 414/3-3, सालिम व 485/1-7 से 10 विस्वा पर प्रार्थी को तथा खसरा नम्वर 415/1-17, 416/1-3, 417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18, 460/1-9,सालिम व खसरा नम्बर 485/1-07 से 17 विस्वा पर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज कराने हेतु दावा पेश करना था लेकिन प्रार्थी अनपढ एवं कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था। इसलिए मुकदमे की पैरवी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की जा रही थी और अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के अनपढ होने का फायदा नाजायज उठाते हुए प्रार्थी से दावे के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर अपने को आराजी खसरा नम्बरान 414/3-3, 415/1-17, 416/1-3,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18, 460/1-9 व 485/1-7 कुल किता 10 रकबा 14 वीघा 3 विस्वा पर एवं प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बरान 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7 कुल किता 5 रकबा 6 वीघा 17 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने की गलत दादरसी चाहते हुए अदालत के समक्ष फर्जकारी कर दावा पेश कर पिता भौंदू से मिलते हुए विधि विरूद्व रूप से इकबाल दावा प्रस्तुत कराते हुए फर्जकारी से न्यायालय से निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.72 प्राप्त करली है जोकि मैण्टेनेविल नहीं है और काबिले निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.1972 व उनवानी मुकदमा सुनहरी व अन्य बनाम भौदू प्रकरण संख्या 396/72 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग अपारस्त किया जावे तथा दावा व निर्णय डिक्री में संशोधन करते हुए प्रार्थी को उसके साविक खसरा नम्बरान 455/2-3, 456/2-0, 457/0-14, 458/0-13, 459/1-7,414/3-3,सालिम खसरा नम्बर 485/1-7 से 10 विस्वा का यानि हाल खसरा नम्बरान 735/0.29, 736/0.24, 752/0.24, 753/0.32, 754/0.40, 807/0.22, वाके ग्राम पूँछरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को साविक खसरा नम्बरान 415/1-17, 416/1-3,417/1-5, 418/1-7, 452/0-16, 453/0-18, 454/0-18,460/1-9 सालिम व 485/1-7 से 17 विस्वा का यानि हाल खसरा नम्बरान 737/0.30, 738/0.32, 740/0.20, 741/0.20, 743/0.33, 751/0.12, 806/0.31, सालिम व 743/0.33 से 0.18 हैक्टे0 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.09.09 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अनिल कुमार गुप्ता एड0 ने पेश किया गया तथा प्रति0 संख्या 2/1 व 2/2 स्वयं उपस्थित आये। दिनांक 27.10.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.पेश किया गया। दिनांक 23.06. 2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व 22 नियम 4 जा.दी.पेश किया गया जोकि वाद सुनवाई स्वीकार किया गया। दिनांक 07.10.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.खारिज किया गया। दिनांक 27.03.2025 को जिला अभिलेखागार डीग से वांछित रिकार्ड मूल पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 16.04.2025 को वकील पक्षकार की बहस सुनी गई व लिखित बहस मय कानूनी द्वष्टांत पेश की गई।

वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थी सुनहरी व अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह आपस में सगे भाई है और अप्रार्थी संख्या 2 भौदू प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का पिता है। दौराने प्रकरण प्रार्थी सुनहरी की मृत्यु हो गई है। जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 है तथा मृतक भौदू के शेष वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/7 है। प्रार्थी सुनहरी व अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह का अपने पिता से विवाद होने पर प्रार्थी सुनहरी व अमर सिंह ने साबिक आराजी खसरा नम्बरान 455 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा,456 रकबा 2 वीघा, 457 रकबा 14 विस्वा, 458 रकबा 13 विस्वा,459 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा,414 रकबा 3 वीघा 3 विस्वा, 415 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 416 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा, 417 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, 418 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, 452 रकबा 16 विस्वा, 453 रकबा 18 विस्वा, 454 रकबा 18विस्वा, 460 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा, 485 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग की बावत एक मुकदमा सुनहरी व अन्य बनाम भौदू प्रकरण संख्या 296/1972 अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया था जो दावा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान से फर्जकारी करते हुए अपने को फायदा नाजायज पहुंचाते हुए और पिता भौदू से भी मिलकर तथ्यों को छिपाते हुए गलत तरीके पर एवं विधि विरूद्व रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भौदू से इकबाल दावा फर्जकारी व विधि विरूद्व तरीके से दिलाते हुए न्यायालय श्रीमान से दिनांक 27.09.1972 को अपने कब्जे हिस्से की आराजी से अधिक आराजी की बाबत न्यायालय श्रीमान से फर्जकारी कर डिक्री प्राप्त करली है। चूंकि यह निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.1972 न्यायालय श्रीमान से फर्जकारी करते हुए विधि विरूद्व रूप से प्राप्त की गई है। जिसके विरूद्व यह प्रार्थना पत्र धारा 151जा.दी. पेश किया गया है। प्रार्थी सुनहरी व अमर सिंह की ओर से यह दावा पेश किया गया था। जिसमें सुनहरी व अमर सिंह दोनों के अधिवक्ता श्री कुॅवरसैन रहे है और प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भौदू उस समय मुकदमे में प्रतिवादी रहे है और भौदू की ओर से इकबाल दावा भी कुॅवरसैन एडवोकेट द्वारा ही विधि विरूद्व रूप से न्यायालय से फर्जकारी करते हुए पेश किया गया है जो गलत विधि विरूद्व है। दावा उनवानी सुनहरी व अन्य बनाम भौदू दिनांक 20.06.1972 को पेश किया गया था और दावा में आगामी पेशी वास्ते ऑफिस रिपोर्ट 28.06.1972 दी गई थी और दिनांक 28.06.1972 को न्यायालय श्रीमान द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर करने का आदेश प्रदान कर सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी करने हेतु आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी प्रतिवादी यानि भौदू की तलबी हेतु दिनांक 06.07.1972 दी गई थी। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह द्वारा फर्जकारी करते हुए व अपने पिता से मिलकर जल्दवाजी में दावा दर्ज रजिस्टर होने से पूर्व ही पिता भौदू से मिलकर दिनांक 21.06.1972 को ही इकबाल दावा लिखाया गया और दिनांक 06.07.72 को वह इकबाल दावा भौदू की तलबी हुए बिना ही श्री कुॅवरसैन एडवोकेट वकील वादी द्वारा ही पेश किया गया। जो अपने आप में विधि विरूद्व है और पत्रावली के अवलोकन से ही फर्जकारी करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.1972 प्राप्त किया गया होना स्पष्ट है। साविक आराजी खसरा नम्बर 455 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 2 वीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 3 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 416 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा, खसरा नम्बर 485 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा,वाके ग्राम पूॅछरी तहसील डीग जिनका कुल रकबा 21वीघा होता है में प्रार्थी सुनहरी का हिस्सा 1/2 यानि साढे दस बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह का भी हिस्सा 1/2 यानि साढे दस वीघा पर कब्जा काश्त है और दोनो के हक में साढे दस वीघा जमीन की बाबत पेश होकर डिक्री होनी थी। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह जो चालाक किस्म का व्यक्ति है ने अपने सगे भाई प्रार्थी सुनहरी के अनपढ एवं कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने का फायदा उठाकर उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह ने अपने को आराजी खसरा नम्बर 414 रकबा 3 वीघा 3 विस्वा, 415 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 416 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा, 417 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, 418 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, 452 रकबा 16 विस्वा, 453 रकबा 18 विस्वा, 454 रकबा 18 विस्वा, 460 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा, व 485 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, कुल किता-10 रकबा 14 वीघा 3 विस्वा पर एवं प्रार्थी सुनहरी को आराजी खसरा नम्बर 455 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा, 456 रकबा 2 वीघा, 457 रकबा 14 विस्वा, 458 रकबा 13 विस्वा, 459 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा कुल किता-5 रकबा 6 वीघा 17 विस्वा पर यानि

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 अमर सिंह ने अपने को साढे दस बीघा के स्थान पर 14 बीघा 3 विस्वा पर एवं प्रार्थी सुनहरी को रकबा साढे 10 बीघा के स्थान पर केवल 6 बीघा 17 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने की दादरसी चाहते हुए दावा गलत तरीके से पेश किया जो इस बात से भी स्पष्ट है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 414 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा व 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा की बाबत प्लीडिंग में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि ये किसके कब्जे काश्त में है। क्योंकि खसरा नम्बर 414 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा सालिम आराजी व 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा से 10 विस्वा रकबा प्रार्थी सुनहरी के कब्जे काश्त में था तथा 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा का शेप रकबा 17 विस्वा ही अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में था।

हाल में भी साविक खसरा नम्बर 455 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 456 रकबा 2 बीघा, 457 रकबा 14 विस्वा, 456 रकबा 13 विस्वा, 459 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 414 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा सालिम आराजीयात व 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा,से 10 विस्वा पर कब्जेकाश्त के मुताविक इनसे बने हाल आराजी खसरा नम्बर 735/0.29,736/0.24,752/0.24, 753/0.32, 754/0.40, 807/0.22 पर प्रार्थी सुनहरी और उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान प्रार्थीगण 1/1 लगायत 1/5 का कब्जा है तथा साविक खसरा नम्बर 415 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, 4416 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 417 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 418 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 452 रकबा 16 विस्वा, 453 रकबा 18 विस्वा, 454 रकबा 18 विस्वा, 460 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा सालिम आराजीयात व 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा से 17 विस्वा रकबा पर ही कब्जेकाश्त में इनसे बने हाल खसरा नम्बर 737/0.30, 738/0.32, 740/0.20, 741/0.20, 751/0.12, 806/0.31 सालिम आराजी व 743/0.33 से 18 हैक्टे0 रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है और अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष फर्जकारी करते हुए खसरा नम्बर 735/0.29, 736/0.24 पर गलत तरीके पर इनके साविक खसरा नम्बर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराते हुए डिक्री प्राप्त की जो विधि विरूद्व है। जहॉं कोई निर्णय व डिक्री न्यायालय से फर्जकारी करते हुए व इकबाल दावा आदि के आधार पर प्राप्त की गई हो वहॉं श्रीमान को धारा 151 जा.दी. के तहत सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। जिस सम्बन्ध में न्यायिक द्रष्टांत 2008(3) जा.दी.(पंजाब व हरियाणा) पेज 731 तथा 2001(2) जा.दी.(एम.पी.) पेज नम्बर 62 पेश है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.1972 उनवानी सुनहरी व अन्य बनाम भौदू प्रकरण संख्या 296/1972 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग अपास्त की जावे तथा दावा व निर्णय व डिक्री में संशोधन करते हुए साविक खसरा नम्बर 455 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 456 रकबा 2 बीघा, 457 रकबा 14 विस्वा, 458 रकबा 13 विस्वा, 459 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 414 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा सालिम व खसरा नम्बर 485 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा से 10 विस्वा का यानि हाल खसरा नम्बरान 735/0.29, 736/0.24, 752/0.24, 753/0.32, 754/0.40, 807/0.22 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने जिला अभिलेखागार डीग से प्राप्त मु.नम्बर 396/72 सुनारी बनाम भौदू अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट का अवलोकन किया गया। चूकि वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.के तहत अनुतोष चाहा गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण/सायलान का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

अतः आदेश है किः-

वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.,दस्तावेजी साक्ष्य से सावित/मैण्टेनेबिल नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.